

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-2  
संख्या- 351 / VII-A-2 / 2024 / 35(सिडकुल) / 2019  
देहरादून: दिनांक 02 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त सिडकुल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में पन्तनगर, हरिद्वार व देहरादून के उद्योगों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	आई०आई०ई० सिडकुल	स्वतंत्र निदेशक
1	पन्तनगर	श्री बांके बिहारी गोयनका
2	हरिद्वार	श्री अविनाश विरमानी
3	देहरादून	श्री पुनीत वाधवा

2- प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल को निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में सिडकुल की आगामी बोर्ड बैठक में कम्पनी एक्ट-2013 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)  
सचिव।

संख्या- 351 (1) / VII-A-2 / 2024 / 35(सिडकुल) / 2019, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) उत्तराखण्ड, कोलागढ़, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाँयू एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. निदेशक मण्डल, सिडकुल के समस्त सदस्यगण, उत्तराखण्ड।
9. श्री बांके बिहारी गोयनका, निदेशक, मैसर्स पशुपति लैमिनेटर्स प्रा०लि०, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
10. श्री अविनाश विरमानी, मकान नं०-757, मॉडल कॉलोनी, हरिद्वार।
11. श्री पुनीत वाधवा, 231, ब्लॉक-01, चुक्खुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(शिव शंकर मिश्रा)  
उप सचिव।